संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A11-171/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक :** 04 **फरवरी, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 2636/AFF/2020-21 दिनांक 29–09–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ को **बी0ए0 (भूगोल एवं संस्कृत) तथा बी0एस–सी0 (कम्प्यूटर सांइस) पाठ्यकम में सत्र 2020–21 हेतु कमशः 60–60 सीटों** के साथ नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड्ल एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्धो के साथ प्रदान किया गया है :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ	बी0ए0 (भूगोल, संस्कृत) बी0एस–सी0 (कम्पयूटर सांइस)	60 सीट 60 सीट	सत्र 2020–21

(1) यू0जी0सी0 विनियम व विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप छात्र हित में मानक पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(2) अग्रेत्तर सत्रों में सम्बद्धता हेतु यू0जी0सी0 विनियम में निहित प्राविधानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सम्बन्धित संस्थानों/महाविद्यालयों में समस्त मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायं।

(3) यदि सम्बद्धता/पूर्वानुमोदन के पश्चात मानक पूर्ण न होने की दशा में किसी महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता पर प्रश्न चिन्ह अथवा कोई शिकायत मा0 कुलाधिपति महोदया के संज्ञान में आती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार समस्त मानक पूर्ण होने की दशा में/समस्त मानक पूर्ण कराने के उपरान्त सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति जी के अवगतार्थ भी उपलब्ध करायें।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2842 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A11-171/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोशीमठ, चमोली।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोमकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।